	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 02, बुधवार, *शाके* 1944-नवम्बर 23, 2022 *Agrahayana 02, Wednesday , Saka 1944- November 23, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

आयोजना विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 21, 2022

जी.एस.आर.103 :-राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 38 का संशोधन.- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के विद्यमान नियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“**38. सूचना को अद्यतन करने के लिए निवेदन.**- जन आधार आई.डी. धारक कुटुंब का मुखिया या कोई वयस्क सदस्य, कुटुंब के मुखिया या किसी भी सदस्य की पहचान सूचना, फोटो या हकदारी के अभिलेख में परिवर्तन के लिए निवेदन कर सकेगा या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जन आधार आई.डी. में कुटुंब के मुखिया को बदलने के लिए या किसी भी सदस्य को उसमें जोड़ने या हटाने के लिए निवेदन कर सकेगा:

परन्तु जन आधार आई.डी. धारक कुटुंब के मुखिया या किसी भी सदस्य के नाम, जन्म की तारीख, लिंग, श्रेणी या जाति में द्वितीय और पश्चात्वर्ती परिवर्तन जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से ही अनुज्ञात किया जा सकेगा । जिला कलक्टर समस्त सुसंगत तथ्यों और साक्ष्य पर विचार करने और आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, तीस दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन के निवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकेगा।”

[सं. एफ.17(8)15/डी.ई.एस/रा.ज.आ.यो./नियम/2022]

राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,

शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	अग्रहायण 02, बुधवार, *शाके* 1944-नवम्बर 23, 2022 *Agrahayana 02, Wednesday , Saka 1944- November 23, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

JAIPUR, NOVEMBER 21, 2022

G.S.R.104 .-In exercise of the powers conferred by section 40 of the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Act, 2020 (Act No 3 of 2020), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority (Amendments) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of rule 38.- The existing rule 38 of the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Rules, 2021 shall be substituted by the following, namely:-

"**38. Request for updation of Information**.- Head of the Family or an adult member of the Jan-Aadhaar ID holder family may request for alteration in identity information, photograph or record of entitlement of head of the family or any of the members, or may request for change in head of the family, addition or deletion of any of the members in, or from Jan-Aadhaar ID in accordance with the provisions of these rules:

Provided that second and subsequent alteration in name, date of birth, gender, category or caste of head of family or any of the members of the Jan-Aadhaar ID may be allowed only with the prior approval of the District Collector. The District Collector may, after considering all relevant facts and evidence and providing an opportunity of personal hearing to the applicant, approve or reject the request for such alteration within thirty days."

[No. F.17(8)15/DES/R.J.A.Y./Rules/2022]

By order of the Governor,

Bhawani Singh Detha,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.